रेरा ने बिल्डर पर लगाया दस लाख का जुर्माना

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

रीयल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) द्वारा बिना पंजीकरण के फ्लैट और बंगला बेचने वाले बिल्डर पर दस लाख रुपये जुर्माना लगाया है। खास बात यह है कि इस मामले में किसी ने शिकायत नहीं की थी, बल्कि रेरा ने खुद वेबसाइट पर दी गई जानकारी के आधार पर बिल्डर को नोटिस जारी किया था। आरोप है कि नोटिस के जवाब में बिल्डर द्वारा रेरा को गुमराह करने का प्रयास किया गया।

बिल्डर अपने पटना के अपने दो प्रोजेक्ट का लगातार प्रचार-प्रसार कर रहा था। इस मामले में रेरा द्वारा कंपनी के एमडी को नोटिस जारी किया गया। दोनों प्रोजेक्टों का रेरा में पंजीकरण नहीं कराया गया था। नोटिस के जवाब में कंपनी की ओर से नियमों का

कार्रवाई

- वेबसाइट से मिली जानकारी के आधार पर रेरा ने लिया संज्ञान
- बिना पंजीकरण कराए कंपनी दो प्रोजेक्टों में बेच रही थे फ्लैट

उल्लंघन न किए जाने और प्रोजेक्ट के रेरा के गठन से पूर्व के होने की जानकारी दी गई।

रेरा द्वारा दोनों प्रोजेक्टों की पूरी रिपोर्ट और चार्टर्ड एकाउंटेंट की रिपोर्ट मांगी गई। पांच और 12 सितंबर के साथ 25 अक्टूबर को हुई सुनवाई के बाद बिहार रेरा के सदस्य आरबी सिन्हा और डॉ. एसके सिन्हा की बेंच ने बिल्डर पर दस लाख रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माने के साथ ही दोबारा गलती न दोहराने की चेतावनी भी दी गई है।

Scanned by CamScanner